



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 19, 2015/आश्विन 27, 1937

No. 349]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2015/ASVINA 27, 1937

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2015

सं.भा.आ.प.—34(41)/2015—मेडि./142035.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है; नामतः

- 1 (i) इन नियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन), 2015" कहा जाएगा।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे:
3. फार्म—4 अर्थात् "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिश" के पश्चात् निम्नलिखित फार्म—5 जोड़ा जाएगा:

फार्म—5

जिले के जिला कलेक्टर/जिलाधीश/उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा नामजद सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण—पत्र का प्रस्तावित फार्मेट, जिसमें आवेदक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है

संख्या

तारीख :

प्रमाणित किया जाता है कि (गांव/तहसील/जिला) में स्थित (एकड़) भूमि स्वामित्व/सरकारी पट्टे के रूप में की सरकार/..... सोसायटी/..... न्यास/..... कंपनी के नाम में पंजीकृत है। यह भूमि, भूमि का एक एकल संसक्त हिस्सा है।

आवेदक भूमि के उपर्युक्त हिस्से पर के नाम से एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है, जिसके ब्योरे निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	जिसके नाम में पंजीकृत है	जिस उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है	पंजीकरण संख्या/तारीख और दस्तावेज संख्या	सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.)	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ों में)

उपर्युक्त भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं है और यह भूमि सभी ऋणग्रस्तताओं से मुक्त है। उपर्युक्त पर निर्मित भवन की निर्माण योजना प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित है, जो उक्त क्षेत्र में उक्त निर्माण योजना का अनुमोदन करने के लिए सक्षम है।

आवेदक ने संबंधित प्राधिकारियों से एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भूमि के उपर्युक्त हिस्से के इस्तेमाल हेतु सभी सुसंगत सांविधिक अनुमोदन/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं।

आवेदक ने उस उपर्युक्त भूमि, जिनमें प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और अध्यापन अस्पताल स्थित है, पर भवन के निर्माण हेतु सभी सुसंगत सांविधिक स्वीकृतियां/ अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं।

राज्य सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए जिलाधीश/जिला कलेक्टर/उपायुक्त/नामजद सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाया गया।

भूमि की छूट की शर्तें:

- यदि कम से कम 10 एकड़ की भूमि के एकल संसक्त हिस्से में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 25 (पच्चीस) लाख की जनसंख्या वाले शहरी समूहों/शहरों के लिए भूमि की छूट मांगी जा रही है तो यह पंक्ति जोड़कर इसका उल्लेख किया जाए कि "आवेदक की भूमि शहरी समूह/शहर में स्थित है, जिसकी जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक है, जिसमें न्यूनतम 10 एकड़ की भूमि कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपेक्षित है"। यह छूट "नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" की दिनांक 01.10.2012 की सरकारी राजपत्र सं. 211 में अधिसूचित संशोधन के अनुसार है।
- यदि यह छूट पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्रों के लिए भूमि के दो हिस्सों में परिसर रखने हेतु मांगी जा रही है तो दो सारणियों में ब्योरे उपलब्ध कराए जाएं और सारणी के नीचे यह पंक्ति जोड़ी जाए कि "आवेदक की यह भूमि (पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप - जो लागू न हो, उसे काट दें) में स्थित है और भूमि के दो हिस्सों के बीच की दूरी किलोमीटर है और ये सड़क से ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं"। यह छूट "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" के दिनांक 01.10.2012 के सरकारी राजपत्र सं. 211 में अधिसूचित संशोधन के अनुसार है।
- यदि छूट बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों में भूमि के दो हिस्सों में परिसर रखने के लिए दोहरे परिसर के लिए राज्य सरकार/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी जा रही है तो दो सारणियों में ब्योरे उपलब्ध कराए जाएं और सारणी की पंक्ति के नीचे यह जोड़ा जाए कि "आवेदक की भूमि (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल - जो लागू न हो, उसे काट दें) में स्थित है और भूमि के दो हिस्सों के बीच की दूरी किलो मीटर है और ये सड़क से ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं।" यह छूट मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 के दिनांक 04.06.2012 के सरकारी राजपत्र सं. 141 में अधिसूचित संशोधन के अनुसार है और इन राज्यों में उक्त अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए है।
- यदि यह छूट संबंधित सरकार द्वारा जिला अस्पताल के उपयोग के उद्देश्य के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा किसी अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि के दो हिस्सों में परिसर रखने के लिए मांगी जा रही है तो दो सारणियों में ब्योरे उपलब्ध कराए जाएं सारणी की पंक्ति के नीचे यह जोड़ा जाए कि " राज्य सरकार/संघ शासित सरकार नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जिला अस्पताल का उपयोग करने की इच्छुक है और भूमि के दो हिस्सों के बीच की दूरी किलोमीटर है और ये सड़क द्वारा ठीक ढंग से जुड़े हुए हैं"। यह छूट मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999 के दिनांक 01.10.2012 के सरकारी राजपत्र सं 213 में अधिसूचित संशोधन के अनुसार है और इन राज्यों में उक्त अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए है।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव, प्रभारी

[विज्ञापन III/4/असा./100/15(238)]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः मेडिकल कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999 भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना सं. 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत 28 अगस्त, 1993 को भारत के राजपत्र के भाग III (खंड 4) में प्रकाशित की गई

थी और दिनांक 07.10.1999, 14.08.2000, 29.07.2008, 22.10.2009, 26.02.2010, 16.04.2010, 14.10.2011, 04.06.2012, 01.10.2012, 19.03.2014 और 22.08.2014 को संशोधित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2015

No. MCI-34(41)/2015-Med./142035.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely: -

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2015”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
3. After Form – 4, i.e., “Recommendation of the Medical Council of India” following Form 5 shall be added:-

FORM – 5

Suggested Format of the Certificate of District Collector/District Magistrate/Deputy Commissioner of the District or the Competent Authority so designated by the State Government in which the Applicant seeks to establish the New Medical College

No. _____

Date:-

This is to certify that land measuring (acre) situated at [village/Tehsil/District]..... is registered in the name of Government of _____/ _____ Society/ _____Trust/ _____Company by way of ownership/Government lease. The land is a single contiguous piece of land.

The applicant _____ seeks to establish a new Medical College by the name of _____ on the aforesaid piece of land of which details are as under:-

S. No	Registered in the name of	Registered with the Sub-Registrar Office of	Registration No./Date and Document No.	Survey No. {Khasra No.}	Land Area in Acres

There is no dispute pertaining to the said land and the land is free from all encumbrances. The building plan for the building constructed on the aforesaid is duly approved by _____ authority which is competent to approve the said building plan in _____ area.

The Applicant _____ has obtained all relevant statutory clearances/permission for the usage of aforesaid piece of land for establishing a new Medical College from the concerned authorities.

The Applicant _____ has obtained all relevant statutory clearances/permission for the construction of building on the aforesaid land in which the proposed Medical College and Teaching Hospital is located.

Signed and Seal of District Magistrate/District Collector/Deputy Commissioner/Competent Authority Designated for such purpose by the State Government.

Conditions for Relaxation of Land

1. In case relaxation for land for Urban agglomerations/cities having population of 25 (twenty five) lakhs for establishing the Medical College in single contiguous piece of land of not less than 10 acres is being sought then the same may be stated by adding a line that “The land of the applicant is situated in _____ urban agglomeration/city which is having population of above 25 lakhs as per Census of India 2011 wherein a minimum of 10 acres of land is required for establishing a new Medical College.” This relaxation is in accordance with Amendment notified in the Official Gazette No. 211 dated 01.10.12 of the Establishment of Medical College Regulations, 1999”.
2. In case, relaxation for having campus in two pieces of land for hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States, Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep is sought then details may be provided in two tables, and below the table line may be added that “The land of the applicant is situated in _____ {hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States. UT of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep- strike off whichever is not applicable} and the distance between two pieces of land is ____ kilometers with well connected road.” This relaxation is in accordance with Amendment notified in the Official Gazette No. 211 dated 01.10.12 of the Establishment of Medical College Regulations, 1999”.
3. In case, relaxation for having campus in two pieces of land in the states of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal the relaxation for twin campus is being sought by State Government/any other persons then details may be provided in two tables, and below the table line may be added that “The land of the applicant is situated in _____ {Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal - strike off whichever is not applicable} and the distance between two pieces of land is ____ kilometers with well connected road.” This relaxation is in accordance with Amendment notified in the Official Gazette No. 141 dated 04.06.12 of the Establishment of Medical College Regulations, 1999 and is for a period of five years from the date of the said notification in these States.
4. In case, relaxation for having campus in two pieces of land for Medical Colleges is being sought in State/Union Territories other than Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal by the State/UT Government for the purpose of utilization of District Hospitals by respective Government then details may be provided in two tables, and below the table line may be added that “The Government of State/UT of _____ is desirous of utilizing the District Hospital for the establishment of new Medical College and the distance between two pieces of land is ____ kilometers with well connected road.” This relaxation is in accordance with Amendment notified in the Official Gazette No. 213 of 1.10.12 of the Establishment of Medical College Regulations, 1999 and is for a period of five years from the date of the said notification in these States.”

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT-III/4/Exty./100/15 (238)]

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999” were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1993, vide Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. And amended *vide* notification dated 7/10/99, 14/8/2000, 29/7/2008, 22/10/2009, 26/2/2010, 16/4/2010, 14/10/2011, 4/6/2012, 1/10/12, 19/3/14 & 22/8/14.